माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक / सं.अ.सं. / 148 दिनांक : 16 / 03 / 2020

अधिसूचना

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक 249 / 68 / सी.सी. / 38 / 20, भोपाल, दिनांक 13 / 03 / 2020 के अनुक्रम में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित के दृष्टिगत नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु प्रदेश के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है।

उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य आगामी आदेश तक स्थगित रखे जाते हैं।

sd/-

(डॉ. मनीष माहैश्वरी)
निदेशक
संबद्ध अध्ययन संस्थाएं

क्रमांक / सं.अ.सं. / 906 दिनांक : 16 / 03 / 2020

प्रतिलिपि –

1) निज सचिव कुलपति / निज सहायक कुलाधिसचिव / निज सहायक कुलसचिव को सूचनार्थ।
2) प्रभारी, वेबसाईट को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने के लिए सूचनार्थ।

MKmaheshwari

(डॉ. मनीष माहैश्वरी)
निदेशक
संबद्ध अध्ययन संस्थाएं

उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय,

मध्यप्रदेश शासन, भोपाल-462004

क्रमांक 249/68 /सी.सी./38/20 भोपाल, दिनांक 13/03/2020

आदेश

राज्य में लोक स्वास्थ्य एवं लोक हित के दृष्टिगत, नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु एवं प्रदेश के महाविद्यालयों में एक स्थान पर विद्यार्थियों के समूह में एकत्रित/उपस्थित होने के परिणाम स्वरूप उक्त बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उद्देश्य से एहतिययात के रूप में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है-

1. मध्यप्रदेश में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक अवकाश रहेगा।
2. प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में संचालित वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षाओं का आयोजन यथावत पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।
3. उक्त अवधि में समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सामूहिक गतिविधियां जैसे क्रीड़ा गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, सेमिनार एवं कार्यशाला इत्यादि सामूहिक गतिविधियों का संचालन स्थगित रहेगा।
4. उक्त अवधि में मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयो/महाविद्यालयों में समस्त शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टॉफ संस्था में उपस्थित रहकर यथावत शासकीय/परीक्षा कार्य सम्पादित करेंगे।
5. उक्त अवधि में प्रदेश के समस्त अशासकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टॉफ की संस्था में उपस्थिति के संबंध में अपने स्तर पर स्वविवेक से समुचित निर्णय ले सकेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। आदेश में वर्णित उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(नीरज मंडलोई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक 250/68 /सी.सी./38/20 भोपाल, दिनांक 13/03/2020

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल मध्यप्रदेष ।
4. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश।
6. कुल सचिव समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश।
8. वि.क.अ. उच्च शिक्षा (आई.टी.सेल), भोपाल की ओर विभागीय "वेबसाईट" पर अपलोड कराने हेतु।

---की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

--00--

क्रमांक 36/प्र.स./स्वा/सत्रह/ मेडि-तीन भोपाल, दिनांक 15/03/2020

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   मध्य प्रदेश शासन,
   शासन के समस्त विभाग,
   समस्त विभागाध्यक्ष
2. समस्त संभागायुक्त/ कलेक्टर मध्य प्रदेश
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत

विषय:- COVID-19 (कोरोना वायरस) के संबंध में दिशा निर्देश।

--00--

COVID-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण विश्व के 135 देशों में फैल चुका है तथा लगभग डेढ़ लाख लोग इससे प्रभावित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा COVID-19 (कोरोना वायरस) रोग के फैलने की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे महामारी (Pandemic) घोषित किया गया है।

2/ उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुऐ आज दिनांक 15.03.2020 राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि :-

1. स्कूलों और कॉलेजों को 31 मार्च 2020 तक बंद किया जाएँ।
2. सिनेमा हॉल तथा मैरिज हॉल को 31 मार्च 2020 तक बंद किया जाएँ।
3. सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, जिम तथा स्वीमिंग पूल्स, को 31 मार्च 2020 तक बन्द रखे जाने के लिये आदेश जारी किये जाएँ।
4. आगनवाडियों को 31 मार्च 2020 तक बन्द किये जाने हेतु आदेश प्रसारित किये जाएँ।
5. कर्मचारियों की बायो-मेट्रिक उपस्थिति को 31 मार्च 2020 तक बंद किया जाए।
6. आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों तथा सार्वजनिक समारोहों को 31 मार्च 2020 तक स्थगित किया जाए।
7. धार्मिक समारोहों को कम से कम करने के लिए धार्मिक प्रमुखों से आग्रह किया जाए।

8. 20 से अधिक लोगों की सभाओं के आयोजन को रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जाएँ।
9. विशेष तैयारियों एवं आपदा स्थिति से निपटने हेतु अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किया जाएँ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/3/2020

(डॉ. पल्लवी जैन गोविल)
प्रमुख सचिव,
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन

पृ.क्रमांक-37/सत्रह/ मेडि-तीन भोपाल, दिनांक 15 /03 /2020

प्रतिलिपि :-
1. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री, मंत्रालय भोपाल।
2. सचिव, राज्यपाल, मध्य प्रदेश, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, विधानसभा, मध्यप्रदेश।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश।
5. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश।
6. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि संचालनालय, भोपाल।
7. समस्त संभागीय संचालक/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/2020

प्रमुख सचिव,
लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश शासन